— 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

मु0नं0 59/2019

प्रार्थीगण :—

1. शिम्भूराम पुत्र कंवराराम
2. मगनाराम पुत्र कंवराराम
3. जेठाराम पुत्र कंवराराम
4. चूनाराम पुत्र कंवराराम
5. बाबुराम पुत्र भीयाराम
6. केसाराम पुत्र भीयाराम
7. सिमरथाराम पुत्र भीयाराम
8. चम्पादेवी पत्नी भीयाराम
9. जसी देवी पत्नी गिरधारीराम
10. पेमाराम पुत्र रामूराम
11. बीजाराम पुत्र रामूराम
12. मोमताराम पुत्र रामूराम
13. अचलाराम पुत्र रामूराम
14. पुरो देवी पत्नी रामूराम
15. भोमाराम पुत्र बगताराम
16. लादूराम पुत्र किसनाराम
17. नरूराम पुत्र किसनाराम
18. माधाराम पुत्र किसनाराम
19. बुधाराम पुत्र किसनाराम
20. तुलछी देवी पत्नी किसनाराम
21. उमेदाराम पुत्र रूपाराम
22. तिलाराम पुत्र रूपाराम
23. दानाराम पुत्र रूपाराम
24. सोनाराम पुत्र देवाराम
25. सतुराम पुत्र देवाराम
26. गवरी देवी पत्नी देवाराम
27. चनणाराम पुत्र बिड़दाराम
28. बाबुराम पुत्र बिड़दाराम
29. तुलछाराम पुत्र बिड़दाराम
30. पूंजाराम गोद पुत्र संग्रामराम सभी कौम जाट निवासीगण ग्राम चिमनगढ गोपालसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार बालेसर

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधिनियम</u>

उपस्थित :—

1. प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित

निर्णय

निर्णय तारीख :— 26/6/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू—राजस्व अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैः—

प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम चिमनगढ पटवार हल्का गोपालसर भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुडियाला तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित खेत खसरा नम्बर 385/1 रकबा 5.05 बीघा एवं ग्राम हरिओमनगर में स्थित खसरा नम्बर 162 रकबा 38 बीघा भूमि आई हुई है। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के पडौसी खेतों की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर नही है तथा खेतों के बीच पुरानी माठ भी मौके पर मौजूद नही है। खेतों के बीच कोई पक्की माठ व मुटाम नही होने से सभी को अपने—अपने खेतों की सीमा का सही ज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

Scanned by CamScanner

है तथा हर समय सीमा को लेकर पड़ौसी खातेदार प्रार्थीगण को परेशान करते है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमा चिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। र्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अप्रार्थी के जवाब के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त अनवान मा में सरहद मौजा ग्राम चिमनगढ़ पटवार हल्का गोपालसर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ड़ियाला तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित खेत खसरा नम्बर 385/1 एकबा 5.05 बीघा एवं म हरिओमनगर में स्थित खसरा नम्बर 162 एकबा 38 बीघा भूमिकी पैमाईश हेतु तहसीलदार बालेसर को भू मापक आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार बालेसर राजस्व मण्डल राज. अजमेर के नियमानुसार उक्त आराजी वादग्रस्त भूमि की पैमाईश पड़ौसी खातेदारों को सूचित कर पड़ौसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करें। भू मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थीगण नियमानुसार अदा करें।

आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी। .
26/6/19

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बालेसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

Scanned by CamScanner